

प्राननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रेषं केन्द्र ग्वालियर

(15)

प्रकरण क्रमांक

: 2011 निरानी R-354-II/2011



ओमप्रकाश पिता अमरलाल पाटीदार आयु 48 वर्ष
धन्या कृष्णा कृष्णक एवम निवासी ग्राम औरना
तहसील मानसुरा जिला मनसौर ---आवैदक

विरुद्ध

- ✓ 1- ओमप्रकाश पिता विष्णुलाल
- ✓ 2- गोविन्द पिता पन्नालाल मृत डारा वारियान -
- 1- श्रीमती लीलाबाई विहदा स्व० गोविन्द
- 2- चन्द्रेकला पति पांगीलालजी पिता स्तर्णीय -
गोविन्द आयु 26 वर्ष निवासी खुनी तहसील
गरौठ जिला मनसौर
- 3- श्रीमती ललिता पति विनोदजी आयु 23 वर्ष
निवासी कालकोट तहसील मानसुरा जिला -
मनसौर
- 4- श्रीमती सुंगीता पति शिवराजजी आयु 21 वर्ष
निवासी कोटा : राजस्थान :
- 5- श्रीमती ममता पति ओमप्रकाशजी निवासी -
सिपरौट
- 6- देवीलाल पिता गोविन्दजी आयु 16 वर्ष
- ✓ 7- सुनील पिता गोविन्दजी आयु 13 वर्ष -
अवयस्क संरक्षक माता लीलाबाई बेबा गोविन्द
निवासी औसराना तहसील मानसुरा जिला -
मनसौर
- ✓ 3- मारतराम पिता चौथपल
- ✓ 4- मुकुन्दलाल पिता पन्नाजी
- ✓ 5- बनीसिंह पिता देवीलाल
- ✓ 6- प्रताप पिता रामचन्द्र
- ✓ 7- ओमप्रकाश पिता अमरलाल पाटीदार
- ✓ 8- लालचन्द्र पिता शंकरलाल मील

मुकुन्दलाल
दारा आज दि 4-3-11
प्रस्तुत

कलक ऑफ कोर्ट 43/1
राजस्व मण्डल मध्य. ग्वालियर

W3 40
4-3-11

मुकुन्दलाल
4-3-11 १९५वें
ग्रामिय २

रुपा

दोस्तप्रकाश

मुकुन्दलाल

::2::

निवासीगण औसराना तहसील मानसुरा जिला
मन्दसौर

- 9- रामेश्वर पिता कन्हैयालाल मूत ढारा वासियाना -
1- घीसीबाई विधवा रामेश्वरजी भील आयु 36 वर्ष
2- संजय पिता स्व० रामेश्वरजी भील आयु 11 वर्ष
3- रिकु पिता स्वर्गीय रामेश्वरजी भील आयु 9 वर्ष
सप्तस्त निवासीगण ग्राम औसराना तहसील मानसुरा
जिला मन्दसौर अवधस्काणा ढारा सेवक माता
श्रीमती घीसीबाई निवासी ग्राम औसराना
- 10- पश्चिम प्रदेश शासन ढारा कैलेक्टर प्रहोदय जिला मन्दसौर

-----अनावेदकगण

अधीनस्थ न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त बहोदय उज्जैन सुभाग -
उज्जैन ढारा प्रकरण नमांक 245 : 2002-03 निगरानी में पारित
आदेश नमांक 30-1-2011 से असन्तुष्ट एवम परिवैदित होकर -
निगरानी वाचिका अनुर्गत धारा 50 पश्चिम प्रदेश मुराजस्व संहिता
एवम धारा 41 प्रदेश सीलिंग आन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 354-दो/2011

जिला मंदसौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-18	<p>आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक एवं अनावेदक पक्ष की ओर से श्री एस0पी0धाकड अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस किये जाने का निवेदन किया गया । विचारोपरांत आवेदक के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है ।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>अध्यक्ष</p> <p><i>[Signature]</i></p>